संख्या–1235/अड़सठ–3–2019–143/2019

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

DD-I 16/8/19

DD II 16/8/19

ADD(A) 16.08.19 DD-II

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शासन-272 MDM

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊः दिनांकः 14 अगस्त, 2019

विषयः–प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जनपदों में कार्यरत रसोईयों का नवीनीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–म0भो0प्रा0/93/2019–20 दिनांक–11.04.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोईयों के चयन से संबंधित शासनादेश संख्याः–435(1)/79–6–10 दिनांक 24.04.2010 में प्रावधानित व्यवस्था को तात्कालिक प्रभाव से इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि विद्यालयों में कार्यरत रसोईयो की सेवाएं यदि संतोषजनक हैं, तो उन्हीं रसोईयों की सेवाओं का नवीनीकरण आगामी शैक्षिक–सत्र के लिए भी कर दिया जायेगा। किसी कारण विद्यालय में कार्यरत रसोईयों का पद रिक्त होने पर उसके स्थान को भरने हेतु नवीन चयन संबंधी कार्यवाही उक्त शासनादेश दिनांक–24.04.2010 में अंकित सुसंगत प्राविधानानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

3– रसोईयों की सेवाओं के संतोषजनक अथवा असंतोषजनक होने का निर्धारण सम्बन्धित ग्राम पंचायत समिति/वार्ड समिति द्वारा किया जायेगा। समिति द्वारा रसोईया के वर्ष भर के कार्यो से असंतुष्ट होने की स्थिति में सम्प्रति प्रभावी प्रकियानुसार ही रसोईया का नवीन चयन किया जायेगा। रसोईये के कार्यो से असंतुष्ट होने की स्थिति में सम्बन्धित रसोईये को ग्राम पंचायत समिति/वार्ड समिति द्वारा समय–समय पर लिखित एवं सकारण चेतावनी/नोटिस निर्गत किया जाना अपरिहार्य होगा। रसोईये को सम्बन्धित ग्राम पंचायत समिति/वार्ड समिति द्वारा लिखित एवं सकारण चेतावनी/नोटिस निर्गत करने एवं सुसंगत साक्ष्य आदि उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् लगाये गये आरोपों के सिद्ध होने की स्थिति में ही उसकी सेवाओं को असंतोषजनक समझा जायेगा। रसोईये की सेवाओं से असंतुष्ट होने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत समिति/वार्ड समिति द्वारा उसको समय–समय पर उक्तानुसार लिखित एवं सकारण चेतावनी/नोटिस निर्गत न किये जाने और इस संबंध में कोई सुसंगत साक्ष्य इत्यादि उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में सम्बन्धित रसोईये की सेवाओं को असंतोषजनक नहीं समझा जायेगा।

4– रसोईयें उस अवधि तक ही कार्य करेंगे जब तक उनका कम से कम एक बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा हो।

5– उक्त शासनादेश दिनांक–24.04.2010 की शेष शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

Edu-3 G.O.2018

पृष्ठांकन संख्या–1235(1)/अड़सठ–3–2019–143/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0,लखनऊ।
4– शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0/राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ/निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ/निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज, उ0प्र0/सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज, उ0प्र0/अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 प्रयागराज, उ0प्र0।
6– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
8– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9– समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
10– राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0 लखनऊ।
11– वित्त (व्यय–नियत्रंण), अनुभाग–11, उ0प्र0 शासन।
12– वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद सिंह)
उप सचिव।

Edu-3 G.O.2018